**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर**

पीठासीन अधिकारी :- **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :- 29/2025

**प्रार्थीगण :-**

1. भूण्डाराम पुत्र मोहनलाल
2. चैनाराम पुत्र मोहनलाल
3. शांति पत्नी मोहनलाल जातियान कुमावत धमाणिया निवासीगण धमाणियों का अरट, बिलाडा चक नं. 4 बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

**बनाम**

**अप्रार्थीगण :-**

1. ओमप्रकाश पुत्र गोपाराम
2. कवराई देवी पत्नी गोपाराम
3. छेलाराम पुत्र करनाराम
4. प्रमोद कुमार पुत्र गोपाराम
5. पारसमल पुत्र गोपाराम
6. मंगलाराम पुत्र करनाराम
7. मल्लाराम पुत्र गोपाराम
8. रूकमादेवी पुत्री गोपाराम
9. सोहनलाल पुत्र गोपाराम जातियान कुमावत धमाणिया निवासीगण धमाणियों का अरट, बिलाडा चक नं. 4 बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) बिलाड़ा

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212**

**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956**

**उपस्थितिः-** प्रार्थी - श्री अशोक कुमार पटेल अधिवक्ता।
अप्रार्थी संख्या 1से 5 व 7 से 9- श्री आर के पटेल अधिवक्ता।
अप्रार्थी संख्या 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
अप्रार्थी संख्या 10- सरकारी पैरोकार।

**:: आदेश ::** **दिनांक :-** 08/09/25

संक्षेप में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय में एक वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत कर दिया है। जिसमें प्रार्थीगण को पूर्णरूप से सफलता मिलने की उम्मीद है। राजस्व ग्राम बिलाडा चक न 4, पटवार हल्का बिलाड़ा चक नं. 4. भू. अभि. नि. क्षेत्र बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 2005 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2006 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2007 रकबा 1.8283 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2910 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2915 रकबा 0.2265 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2918 रकबा 0.0728 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2925 रकबा 0.3883 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2928रकबा 0.0647, फुल खसरा कुल रकबा 2.7262 हैक्टेयर आयी हुई है। जिसके खाता संख्या चालु जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के अनुसार 203 तथा पुराने खाता संख्या 92 है। उपरोक्त खसरान की भूमि प्रार्थीगण व अपार्थी संख्या 1 से 9 की संयुक्त खातेदारीसुद सयुक्त कब्जा काश्तसुदा भूमि है, जिसमें प्रार्थी संख्या 1 का 1/12 वीं हिस्सा, प्रार्थी

संख्या 2 का 1/12 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 3 का 1/12 हिस्सा इस प्रकार प्रार्थीगण का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा निहित व दर्ज है। उपरोक्त खसरान की भूमि को प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त कृषि भूमि से संबोधित किया जायेगा। वादग्रस्त कृषि भूमि पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित हक व हिस्से अनुसार मौके पर काबिज है व काश्त कर रहा है तथा वादग्रस्त कृषि भूमि का प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 9 के मध्य आज दिन तक लिखित व विधिवत बंटवाड़ा नहीं हुआ है व न ही राजस्व नक्शे में मुताबिक प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित हिस्से के अनुसार तरमीम हुई है तथा वादग्रस्त कृषि भूमि प्रार्थना पत्र के पद संख्या2 में वर्णित हक व हिस्से अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रार्थीगण अपने 1/4 हिस्से के अनुसार राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 9 के नाम से सयुक्त रूप से खातेदारी के रूप में दर्ज है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 9 प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित अपने हिस्से अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि पर काबिज व काश्त कर रहे है। वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 9 के हक व हिस्से के संबंध में प्रार्थीगण के 1/4 हिस्से की भूमि का प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 9 को विधिवत बंटवाड़ा व राजस्व नक्शे में तरमीम करवाने हेतु कई बार निवेदन किया परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 से 9 ने आज दिन तक न तो प्रार्थीगण के निवेदन को स्वीकार किया व न ही प्रार्थीगण के निवेदन से सहमत हुए व न ही आज दिन तक वादग्रस्त कृषि भूमि का विधिवत बंटवाड़ा किया। बिना बंटवाड़ा के प्रार्थीगण न तो अपने हिस्से की भूमि पर कोई सुधार कर सकते है और न ही उसे उपजाऊ बना सकते है, व न ही सरकारी सुविधाओं को प्राप्त कर सकते है। इसलिए प्रार्थीगण को अपने हक व हिस्से की प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि के बंटवाड़ा व राजस्व नक्शे में तरमीम करवाने के लिए वाद बाबत् बंटवाड़ा का प्रस्तुत किया है। दिनांक 22.04.2025 को अप्रार्थी संख्या 1 से 9 द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि पर बिना विधिवत् बंटवाड़ा किये तथा बिना प्रार्थीगण की सहमति के वादग्रस्त कृषि भूमि को बैचान करने पर आमादा है खसरा संख्या 2006 में स्थित गै.मु. बेरा में स्थित कुए से सिचाई करने से प्रार्थीगण को स्पष्ट मना कर दिया तथा प्रार्थीगण को दिनांक 22.04.2025 को वादग्रस्त कृषि भूमि पर आकर धमकी दी कि हम तो हमारे हिस्से की भूमि का अन्य अजनबी व्यक्ति को पहौस दर्शाते हुए बैचान करके रहेंगे तथा खसरा संख्या 2006 में स्थित गै.मु. बेरा में स्थित कुए से सिचाई की तो जान से मारने की धमकिया दी तथा उक्त कुए से सिचाई बंद कर दी तथा प्रार्थीगण को स्पष्ट मना कर दिया कि आप कुए से आपकी फसल की सिचाई नही करोंगे तब प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 9 को कहा कि आप बिना विधिवत् बंटवाड़ा किये तथा बिना प्रार्थीगण की सहमति के आपके हिस्से की भूमि का बैचान अजनबी क्रेता को पहौस दर्शाते हुए बैचान नहीं कर सकते हो तो तथा प्रार्थीगण

को कुए से सिचाई करने से नहीं रोक सकते हो तो अप्रार्थी संख्या 1 से 9 ने प्रार्थीगण की बात को न मानकर उल्टा प्रार्थीगण को एलानिया कहा कि ष्हम तो हमारे हिस्से की भूमि को पड़ौस दर्शाते हुए बिना विधिवत् बंटवाड़ा के व तुम्हारी सहमति के बिना अजनबी क्रेता को बैचान करके रहेंगे तथा तुम्हे किसी भी सूरत में कुए से फसल सिचाई हेतु पानी नही लेने देंगेष इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 से 9 को उनके द्वारा उपरोक्त अवैध कार्य करने से रोकने हेतु जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। क्योकि वादग्रस्त कृषि भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 9 की सयुक्त खातेदारीसुदा है तथा जिस पर प्रार्थीगण का जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 में वर्णित हिस्से अनुसार मौके पर काबिज है एवं काश्त कर रहे है। यदि अप्रार्थी संख्या 1 से 9 बिना विधिवत् बंटवाड़ा किये व बिना प्रार्थीगण की सहमति के वादग्रस्त कृषि भूमि में स्थित अपने हिस्से को अजनबी क्रेता को पड़ौस दर्शाते हुए बैचान, हस्तान्तरण कर देते है तथा खसरा संख्या 2006 में स्थित कुए से प्रार्थीगण की भूमि में फसल सिचाई करने से मना कर देते है तो इससे प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन मूल्यों में नहीं आंका जा सकता तथा प्रार्थीगण का वाद पेश करने का मकसद ही समाप्त हो जायेगा व प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 9 के मध्य अशांति पैदा हो जायेगी व मुदकमेंबाजी बढ जायेगी। जबकि कानूनन अप्रार्थी संख्या 1 से 9 को बिना विधिवत् बंटवाड़ा के व बिना प्रार्थीगण की सहमति के वादग्रस्त कृषि भूमि को पडौस दर्शाते हुए अजनबी क्रेता को बैचान करने का कोई अधिकार नहीं है तथा प्रार्थीगण को खसरा संख्या 2006 में स्थित कुए से अपनी फसल सिचाई हेतु पानी लेने से मना करने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार प्रथम दृ ष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजस्व मूलवाद के निर्णय तक के लिए प्रार्थीगण के पक्ष में व अप्रार्थी संख्या 1 से 9 के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थी संख्या 1 से 9 राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नं. 4, तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 2005 रकबा 0.0647 हैक्टेयर किस्म, खसरा संख्या 2006 रकबा 0.0647 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बेरा, खसरा संख्या 2007 रकबा 1.8283 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2910 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2915 रकबा 0.2265 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2918 रकबा 0.0728 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2925 रकबा 0.3883 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2928 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, कुल खसरा 8 कुल रकबा 2.7262 हैक्टेयर को बिना विधिवत् बंटवाडा कराये व बिना प्रार्थीगण की सहमति के अन्य सख्श को

बैचान, वसीयत, बख्शीश वगैराह से हस्तान्तरण नहीं करे तथा वादग्रस्त कृषि भूमि में स्थित प्रार्थीगण के वादग्रस्त कृषि भूमि में स्थित 1/4 हक व हिस्से की भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 से 9 न तो स्वयं दखलन्दाजी करे तथा न ही अपने हाली एजेन्ट, नोकर, मजदूर, रिश्तेदार, परिवार के सदस्य, भूमाफिया, किराये के गुण्डों वगैराह से ही कोई दखलन्दाजी करावे तथा खसरा संख्या 2006 में स्थित कुए से प्रार्थीगण की अपनी भूमि में सिचाई हेतु पानी लेने इन्कार नहीं करे तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 से 9 द्वारा वर्तमान में प्रार्थीगण को उनके हिस्से की भूमि में सिचाई हेतु पानी देने से मना कर दिया जिससे प्रार्थीगण की फसल खराब हो रही है, इसलिए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि में सिचाई हेतु पानी में किसी प्रकार की दखल पैदा नही करे तथा प्रार्थीगण को सिचाई करने की न्यायालय द्वारा अनुमति प्रदान करावे तथा अप्रार्थी संख्या 10 को भी जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वो अप्रार्थी संख्या 1 से 9 द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में हस्तान्तरणध्अन्तरण संबंधी दस्तावेज का पंजीयन नही करे तथा न ही ऐसे हस्तान्तरणध्अन्तरण संबंधी दस्तावेज के आधार पर राजस्व रेकर्ड में किसी भी प्रकार का रदोबदल करे तथा राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनायी रखे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 से 5 व 7 से 9 की ओर श्री राजेन्द्र प्रसाद पटेल अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी सं. 6 द्वारा उपस्थित नही होने पर अप्रार्थी सं. 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 10 प्रफोर्मा पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नही है। अप्रार्थी सं. 1 से 5 व 7 से 9 की ओर जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि बिलाड़ा चक न. 4, की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा सं. 2005 रकबा 0.0647 हैक्टेयर किस्म, खसरा सं. 2006 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, खसरा सं. 2007 रकबा 1.8283 हैक्टेयर, खसरा सं. 2910 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, खसरा सं. 2915 रकबा 0.2265 हैक्टेयर, खसरा सं. 2918 रकबा 0.0728 हैक्टेयर, खसरा सं. 2925 रकबा 0.3883 हैक्टेयर, खसरा सं. 2928 रकबा 0.0647 हैक्टेयर कुल खसरे 8 की कुल भूमि 2.7262 हैक्टेयर आई हुई है। जिसके खाता संख्या चालु जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 के अनुसार तथा पुराने खाता सं. 92 सही होने से स्वीकार है। परन्तु उपरोक्त खसरान की भूमि खसरा सं. 2005, 2006, 2007 की भूमि पर अप्रार्थी सं. 1 से 9 का संयुक्त कब्जा करीब 33 वर्ष से है तथा खसरा सं. 2910, 2915, 2918, 2925 व 2928 की भूमि पर संयुक्त कब्जा केवल प्रार्थीगण है। यह गलत है कि उपरोक्त खसरान की भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 से 9 की संयुक्त खातेदारीसुदा संयुक्त कब्जा काश्तसुदा भूमि है। बाकी फिकरा स्वयं प्रार्थीगण साबित करे। वादग्रस्त कृषि भूमि पर

प्रार्थना पत्र पद सं. 1 में वर्णित हक व हिस्से अनुसार मौके पर काबिज है व काश्त कर रहा है तथा वादग्रस्त कृषि भूमि का प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 1 से 9 के मध्य आज दिन तक लिखित व विधिवत् बंटवाड़ा नहीं हुआ है वन ही राजस्व नक्शे में मुताबिक प्रार्थना पत्र के पद सं. 1 में वर्णित हिस्से अनुसार तरमीम हुई है तथा वादग्रस्त कृषि भूमि प्रार्थना पत्र के पद सं. 1 में वर्णित हक व हिस्से अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रार्थीगण अपने 1/4 हिस्से के अनुसार राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 में प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 से 9 के नाम से संयुक्त रूप से खातेदारी के रूप में दर्ज है। यह गलत है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 से 9 वाद पत्र के पद सं. 1 में वर्णित अपने हिस्से अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि पर काबिज व काश्त कर रहे है। प्रार्थीगण सत्य छुपाने के दोषी है। क्योंकि प्रार्थीगण के दादा श्री करनारामजी ने उपरोक्त खातेदारी की कृषि भूमि का सेटलमेन्ट अपने जीतेजी दिनांक 05-06-1992 को अपने चारों पुत्र मोहनलाल, गोपाराम, छैलाराम व मंगलाराम को मौके पर भौतिक रूप से बंट करके लिखित में दस्तावेज में तहरीर व तकमील कर अपने व अपने चारो पुत्रों के हस्ताक्षर करवा साखे डलवाकर नोटेरी से प्रमाणित करवाया। तत्पश्चात् शर्त अनुसार इकरारनामें प्रार्थीगण के पिता मोहनलालजी ने अपने तीन भाई गोपाराम, छैलाराम व मंगलाराम के पक्ष में तथा ठीक उसी तरह गोपाराम, छैलाराम, मंगलाराम पिसरान करनारामजी जाति पटेल (धमाणिया) निवासी बिलाड़ा वालो ने अपने भाई मोहनलालजी के पक्ष में इकरारनामा तहरीर व तकमील किया। उपरोक्त दस्तावेजात की लिखापढ़ी मुंसी पुखराजजी पुत्र रावतरामजी पटेल गौरी निवासी बिलाड़ा वालो ने की थी। इन सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर व गवाहों द्वारा साख डाली गई। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण ने दिनांक 05-06-1992 के बंटवाड़ा अनुसार मौके पर आज दिन तक काबिज व काश्त करते आ रहे है जो कब्जा व काश्त 33 वर्ष से अलग-अलग चला आ रहा है। प्रार्थीगण स्वयं एवं प्रार्थीगण के उत्तराधिकारी उक्त बंटवाड़ा विलेख दिनांक 05-06-1992 की रूह से सदैव के लिये पाबन्द रहते हुए अन्य बात कहने से एस्टोप्ड (विबंधन) है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र अनुसार कब्जे अनुसार बंटवाड़े की मांग भी की है। वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में प्रार्थना पत्र के पद सं. 1 में वर्णित प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 से 9 के हक व हिस्से के संबंध में प्रार्थीगण के 1/4 हिस्से की भूमि का प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी सं. 1 से 9 को विधिवत् बंटवाड़ा व राजस्व नक्शे में तरमीम करवाने हेतु कई बार निवेदन किया परन्तु अप्रार्थी सं. 1 से 9 ने आज दिन तक न तो प्रार्थीगण के निवेदन को स्वीकार किया व न ही प्रार्थीगण के निवेदन से सहमत हुए व न ही आज दिन तक वादग्रस्त कृषि भूमि का विधिवत् बंटवाड़ा किया, बिना बंटवाड़ा के प्रार्थीगण न तो अपने हिस्से की भूमि पर कोई सुधार कर सकते है और न ही उसे उपजाऊ बना सकते है वन ही सरकारी सुविधाओं को प्राप्त कर सकते है, इसलिये प्रार्थीगण को अपने हक व हिस्से की प्रार्थना पत्र के पद सं. 1 में वर्णित वादग्रस्त

कृषि भूमि के बंटवाड़ा व राजस्व नक्शे में तरमीम करवाने के लिये यह प्रार्थना पत्र बाबत् बंटवाड़ा का प्रस्तुत करना पड़ रहा है। दिनांक 22-04-2025 को अप्रार्थी 1 से 9 द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि पर बिना विधिवत् बंटवाड़ा किये तथा बिना प्रार्थीगण की सहमति के वादग्रस्त कृषि भूमि को बैचान करने पर आमादा है, खसरा सं. 2006 में स्थित गै.मु. बेरा में स्थित कुए से सिंचाई करने से प्रार्थीगण को स्पष्ट मना कर दिया तथा प्रार्थीगण को दिनांक 22-04-2025 को वादग्रस्त कृषि भूमि पर आकर धमकी दी कि हम तो हमारे हिस्से की भूमि का अन्य अजनबी व्यक्ति को पड़ौस दर्शाते हुए बैचान करके रहेगे तथा खसरा सं. 2006 में स्थित गै.मु. बेरा में स्थित कुंए से सिंचाई की तो जान से मारने की धमकिया दी तथा उक्त कुंए से सिंचाई बन्द कर दी तथा प्रार्थीगण को स्पष्ट मना कर दिया कि आप कुंए से आपकी फसल की सिंचाई नहीं करोगे, तब प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी सं. 1 से 9 को कहा कि आप बिना विधिवत् बंटवाडा किये तथा बिना प्रार्थीगण की सहमति के आपके हिस्से की भूमि का बैचान अजनबी क्रेता को पड़ौस दर्शाते हुए बैचान नहीं कर सकते हो, तथा प्रार्थीगण को कुंए से सिंचाई करने से नहीं रोक सकते हो तो अप्रार्थी सं. 1 से 9 ने प्रार्थीगण की बात को न मानकर उल्टा प्रार्थीगण को ऐलानिया कहा कि हम तो हमारे हिस्से की भूमि को पड़ौस दर्शाते हुए बिना विधिवत् बंटवाड़ा के व तुम्हारी सहमति के बिना अनजबी क्रेता को बैचान करके रहेगे तथा तुम्हे किसी भी सूरत में कुंए से फसल सिंचाई हेतु पानी नहीं लेने देंगे। इसलिये अप्रार्थी सं. 1 से 9 को उनके द्वारा उपरोक्त अवैध कार्य करने से रोकने हेतु जरिये स्थाई निषेद्याज्ञा एवं अस्थाई निषेद्याज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थीगण द्वारा इस पद में वर्णित अनुसार वाद कारण विरूद्ध अप्रार्थीगण कतई पैदा नहीं हुआ। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के विरूद्ध नहीं है। सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में है, क्योंकि संलग्न नजरी नक्शे में वर्णितानुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपने-अपने बंट की भूमि में अपने पूर्व पुरूष करनारामजी के द्वारा दिनांक 05-06-1992 से अलग-अलग भौतिक रूप से काबिज है। यदि अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेद्याज्ञा जारी की जाती है तो अपूर्णियक्षति अप्रार्थीगण को होगी। वाद की बहुलता बढ़ेगी व प्रार्थीगण टंटा फिसाद अस्थाई निषेद्याज्ञा के जरिये टंटा फिसाद करने पर उतारू होगे।

अतः प्रार्थना पत्र का जबाव पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चे खारिज फरमावे।

अप्रार्थीगण सं. 1 से 5 व 7 से 9 द्वारा काउण्टर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटी एक्ट पेश किया जिसके तथ्य इस प्रकार है कि बिलाड़ा चक 4 की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा सं 2005 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, खसरा सं. 2006 रकबा 0.0047 हैक्टेयर, खसरा सं. 2007 रकबा 1.8283 हैक्टेयर, खसरा सं. 2910 रकबा 0.0162 हैक्टेयर,

खसरा सं. 2915 रकबा 0.2265 हैक्टेयर, खसरा सं. 2918 रकबा 0.0728 हैक्टेयर, खसरा सं. 2925 रकबा 0.3883 हैक्टेयर, खसरा सं. 2928 रकबा 0.0647 हैक्टेयर कुल खसरे 8 की कुल भूमि 2.7262 हैक्टेयर आई हुई है। उपरोकत भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 1 से 9 के पूर्व पुरुष करनारामजी पुत्र स्व. श्री शिवदानराम जाति पटेल धमाणिया निवासी बिलाड़ा ने अपने जीतेजी अपनी स्वयं की खातेदारी की पट्टायुद, कब्जासुद भूमि का पारिवारिक भौतिक रूप से बंटवाड़ा कर दिनांक 05-06-1992 को लिखित रूप देकर तहरीर व तकमील किया तथा मौके पर वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा सं. 2005, 2006, 2007 की कुल भूमि 12 बीघा 02 बिस्वा (1.9577 हैक्टेयर) भूमि का भौतिक रूप से कब्जा अपने 3 पुत्र गोपाराम, छैलाराम व मंगलाराम को सौप दिया। उक्त भूमि बेरा राजबाग बिलाड़ा में स्थित है तथा खसरा सं. 2910, 2915, 2918, 2925 व 2928 की कुल भूमि 04 बीघा 15 बिस्वा (0. 7685 हैक्टेयर) भूमि का भौतिक रूप से कब्जा अपने पुत्र मोहनलाल को सौप दिया। उक्त भूमि बेरा पीपलिया बिलाड़ा में स्थित है और उसी दिन मोहनलालजी ने अपने तीन भाई गोपाराम, छैलाराम व मंगलाराम से शर्त अनुसार इकरारनामा में लिखापढ़ी करके तहरीर व तकमील किया। ठीक उसी तरह गोपाराम, छैलाराम, मंगलाराम पिसरान करनारामजी ने अपने भाई मोहनलालजी के हक में शर्त अनुसार इकरारनामा की लिखापढ़ी करके तहरीर व तकमील किया। करनाराम की वंशावली काउण्टर प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 1 में वर्णितानुसार है। वादग्रस्त कृषि भूमि का संलग्न नजरी नक्शे निम्नानुसार है। प्रार्थीगण के पिता व पति मोहनलालजी के बंट में दिनांक 05-06-1992 को निम्न खसरान की भूमि रखी गई खसरा सं. 2910, 2915, 2918, 2925, 2928 की कुल भूमि 04 बीघा 15 बिस्वा। घरेलु विद्युत कनेक्शन प्रार्थी सं. 1 व 2 तथा कृषि कनेक्शन श्री नवलाराम के नाम से लिये हुए है। प्रार्थीगण बेरा पीपलिया में उपरोक्त खसरों की भूमि में काश्त कर रहे है, निवास कर रहे है, कृषि एवं घरेलु कनेक्शन स्थित है और उसी अनुसार वोटर लिस्ट लिस्ट भी निवास स्थान की काफी वर्षो पूर्व बनी हुई है तथा मौके की फोटोज भी संलग्न है। अप्रार्थी सं. 1 से 5, 7 से 9 के पूर्व पुरुष गोपाराम, अप्रार्थी सं. 3 छैलाराम व अप्रार्थी सं. 6 मंगलाराम के बंट में दिनांक 05-06-1992 को निम्न खसरान की भूमि रखी गई खसरा सं. 2005, 2006, 2007 की कुल भूमि 12 बीघा 02 बिस्वा। सबूत में मौके की फोटोज संलग्न है एवं घरेलु विद्युत कनेक्शन अप्रार्थी सं. 1 से 5 व 7 से 9 के पिता गोपारामजी के नाम अप्रार्थी सं. 3 के नाम व अप्रार्थी सं. 6 के नाम उक्त भूमि बेरा राज बाग में स्थित है। अप्रार्थी सं. 1 से 9 का बेरे का नाम राज बाग है। उपरोक्त खसरों की भूमि में बंट अनुसार काश्त कर रहे है। निवास कर रहे है तथा वोटर लिस्ट भी बनी हुई है। जो संलग्न है। वादग्रस्त भूमि का दिनांक 05-06-1992 को ही मौके पर बंटवाड़ा हुए करीब 33 वर्ष हो गये, बंट अनुसार काबिज है। पारिवारिक बंटवाड़ा

सेटलमेन्ट की राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवाने के पहले ही प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पूर्व पुरुष करनारामजी पुत्र शिवदानरामजी का देहान्त हो गया। उनके देहान्त के बाद फौतेदगी म्यूटेशन के जरिये पक्षकारों का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हो गया। प्रार्थीगण के पूर्व पुरुष मोहनलालजी, अप्रार्थी सं. 1, 2, 4, 5 व 7 से 9 के पूर्व पुरुष गोपारामजी एवं अप्रार्थी सं. ३ छैलाराम व अप्रार्थी सं. 6 मंगलाराम ने अपने पिता करनारामजी द्वारा किये गये बंटवाड़े की सस्वीकृति दी लेकिन आपसी सहमति का बंटवाड़ा का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं करा पाये। लेकिन बंटवाड़ा दिनांक 05-06-2019 के अनुसार ही मौके पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 से 9 काबिज व काश्त करते आये है। पक्षकारान को उक्त बंटवाड़ा दिनांक 05-06-1992 की शुरु से ही जानकारी थी। फिर भी प्रार्थीगण ने बंटवाड़ा दिनांक 05-06-1992 को राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने का फायदा उठाकर प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में यह बात बखूबी छुपाते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया। उपरोक्त दस्तावेज दिनांक 05-06-1992, शर्तो की पालना के इकरारनामें प्रार्थीगण के पास है जिन्हें वक्त जरूरत न्यायालय में तलब करवाया जायेगा। बंटवाड़ा दिनांक 05-06-1992 में पक्षकारान के पूर्व पुरुष करनारामजी ने अपने जीतेजी अपनी खातेदारी की कृषि भूमि की व्यवस्था कर प्रार्थीगण के पिता मोहनलालजी के बंट में खसरा सं. 2910, 2915, 2918, 2925, 2928 कुल भूमि 4 बीघा 15 बिस्वा (0.7684 हैक्टेयर) तथा अप्रार्थी सं. 1, 2, 4, 5 व 7 से 9 के पूर्व पुरुष गोपारामजी, अप्रार्थी सं. 3 छैलाराम व अप्रार्थी सं. 6 मंगलाराम को भौतिक रूप से सौप दी व शर्तो की पालना में प्रार्थीगण के पिता मोहनलाल जी को 15 बिस्वा भूमि ज्यादा देने के ऐवज में रूपये 24,000/- गोपारामजी, छैलारामजी व मंगलारामजी से नकद प्राप्त कर लिये। परन्तु उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्य प्रार्थीगण ने जान बूझकर छुपाते हुए यह प्रार्थना पत्र पेश किया। वादग्रस्त भूमि खसरा सं. 2005, 2006, 2007 में अप्रार्थी सं. 1, 2, 4, 5 व 7 से 9 ओमप्रकाश, कंवराईदेवी, प्रमोद कुमार, पारस्मल, मल्लाराम, रूकमादेवी, व सोहनलाल का 1/3 हिस्से की खातेदारी घोषणा अप्रार्थी सं. 3 फैलाराम का 1/3 हिस्से की खातेदारी घोषणा अप्रार्थी . मंगलाराम का 1/3 हिस्से की खातेदारी की घोषणा मौके पर काबिज अनुसार कराने के अधिकारी है तथा वादग्रस्त भूमि खसरा सं. 2910, 2915, 2918, 2925 व 2928 की भूमि की खातेदारी घोषणा प्रार्थीगण की मौके पर काबिज अनुसार कराने के अधिकारी है। इसलिये बंटवाड़ा विलेख फैमिली सेटलमेन्ट दिनांक 05-06-1992 व शर्तो की पालना के इकरारनामें अनुसार नजरी नक्शे में वर्णित अनुसार मौके पर भौतिक कब्जे अनुसार अपनी खातेदारी में दर्ज कराने के लिये यह घोषणा एवं बंटवाड़ा का काउण्टर बाद करना पड़ा जिसमें अप्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण उम्मीद है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 1 से 9 के पूर्व पुरुष करनारामजी व इनके चारों पुत्र मोहनलाल, गोपाराम, छैलाराम व मंगलाराम की

सस्वीकृति के बावजूद कब्जे काश्त की भूमि में दखलअंदाजी करने का प्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है। अगर प्रार्थीगण स्वयं या अपने हाली एजेन्ट, नौकर चाकर प्रतिनिधि से अप्रार्थी सं. 1, 2, 4, 5 व 7 से 9 की संलग्न नक्शे अनुसार कब्जे काश्त की भूमि से जबरन बेदखल करने की कार्यवाही व फसल की बुआई करने से रोकटोक करने की कार्यवाही से प्रार्थीगण को नहीं रोका गया तो अप्रार्थीगण को अपूर्णियक्षति होगी। जिसका मूल्यांकन रूपयों में नहीं आंका जा सकेगा तथा मौके पर भौतिक कब्जे में रदोबदल करने की संभावना बनी रहेगी। अप्रार्थीगण की भूमि में प्रार्थीगण किसी प्रकार की दखल करेगे तो काश्त की भूमि पर असर पड़ेगा। काश्त की भूमि में प्रार्थीगण अड़चन करेगे तो कृषि उत्पादन को नुकसान पहुंचेगा, जिससे अप्रार्थीगण की आय बन्द हो जायेगी और अप्रार्थीगण से परिवार वालों की रोजीरोटी टीन जायेगी।

अतः प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का जबाव मय काउण्टर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण की बंटसुदा, कब्जासुद भूमि में काउण्टर प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 2 ख, में वर्णित वादग्रस्त भूमि में दौराने वाद प्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रार्थीगण न तो स्वयं दखलअंदाजी करे एवं न ही अपने हाली एजेन्ट नौकर चाकर, प्रतिनिधि से दखलअंदाजी कराने की चेष्टा करावे।

प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउण्टर का वादीगण द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके तथ्य इस प्रकार है कि इकरारनामा दिनांक 05.06.1992 के पेज संख्या 03 पर लाईन संख्या 7 में स्पष्ट शर्त रखी गयी कि पिता करनाराम के स्वर्गवास के बाद आप चारों भाई उपरोक्त वर्णित बंटवाड़े माफिक सरकार में अपना म्यूटेशन करवाकर बिगोडी भरते रहेंगे। उक्त शर्त की पालना अप्रार्थी संख्या 1 व 2, 4, 5, 7, 8, 9 के पिता गोपाराम एवं अप्रार्थी संख्या 3 छैलाराम द्वारा नहीं की गयी, पालना करवाने हेतु मोहनलाल कई वर्षो तक अपने भाईयों से कहता रहा मगर पालना नहीं की गयी तो उक्त इकरारनामा शुन्य हो गया। करनाराम के फौत होने पर म्यूटेशन उतराधिकारी का भरा गया, जो तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा स्वीकृत किया गया। इस कारण पूर्व में करनाराम द्वारा किया गया इकरारनामा दिनांक 05.06.1992 प्रभावहीन हो जाने से प्रार्थीगण के पिता मोहनलाल द्वारा अपने हिस्से अनुसार पूर्व में भी काश्त काश्त करते है तथा वर्तमान में भी प्रार्थीगण अपने-अपने हिस्से अनुसार प्रत्येक खसरा में काश्त करते है तथा प्रार्थीगण का खसरा संख्या 2007 में रहवासीय मकान बना हुआ है तथा उसी खसरा संख्या 2007 में हिस्से अनुसार काश्त करते है मगर अभी अभी अप्रार्थी संख्या 1 से 5 व 7 से 9 द्वारा खसरा संख्या 2006 में स्थित कुआ से प्रार्थीगण को सिचाई करना बंद करवा दिया तथा न ही पीने का पानी ले जाने दे रहे है, जिससे प्रार्थीगण व उनके मवेशी प्यासे मर रहे है। जिसकी शिकायत प्रार्थीगण द्वारा राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर की हुई है। इसलिए प्रार्थीगण को अपने हिस्से की भूमि का

बंटवाडा हेतु न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। प्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम से कोई विद्युत कनेक्शन नही लिया हुआ है, नवलाराम के नाम से जो कृषि विद्युत कनेक्शन लिया गया है वह खसरा संख्या 2910, 2915, 2918, 2925, 2928 का सह काश्तकार ही नही है। करनाराम द्वारा किया गया इकरारनामा की शर्तों का पालन नही करने पर इकरारनामा स्वत् शून्य हो गया क्योकि करनाराम के देहान्त के पश्चात् फौतेदगी नामान्तरकरण सभी पुत्रों के नाम समस्त भूमि खसरा संख्या 2005, 2006, 2007, 2910, 2915, 2918, 2925, 2958 में समान रूप से हिस्सेनुसार भरा जाकर तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया हुआ है। इस कारण समस्त खसरान का विभाजन कब्जे व हिस्से अनुसार किये जाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय में वाद पेश किया गया। करनाराम का देहान्त हो जाने पर पूर्व में किया गया इकरारनामा स्वत् ही शून्य हो गया था तो नामान्तरकरण समस्त भूमि का करनाराम के वारिसान के नाम भरा जा चुका है तथा समस्त खसरान में प्रार्थीगण का समान हिस्सा दर्ज हो चुका है हिस्सा अनुसार एवं कब्जानुसार विभाजन करवाने हेतु वाद न्यायालय में पेश किया गया। प्रार्थीगण के पिता मोहनलाल द्वारा 24000/- रूपये पूर्ण रूप से अदा करने पर भी अप्रार्थी संख्या 1 से 5 व 7 से 9 के पिता द्वारा रजिस्ट्री नही करवाने पर दिनांक 05.06.1992 को किया गया इकरारनामा प्रभावहीन होकर शून्य हो गया था प्रार्थीगण के पिता मोहनलाल द्वारा तब से अपने हिस्से अनुसार काश्त करते थे तथा उनके देहान्त के बाद उनके उत्तराधिकारी वर्तमान में भी काश्त करते आ रहे है। पूर्व में दिनांक 05.06.1992 को हुआ इकरारनामा की पालना नही की जाकर उसके बाद नामान्तरकरण हिस्से अनुसार करवाने के पश्चात् पूर्व का इकरारनामा दिनांक 05.06.1992 प्रभावहीन होकर शून्य हो गया है। प्रार्थीगण के हिस्से में कोई दखल नही करे इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना अति आवश्यक है तथा कुए से पानी निकालने की आज्ञा प्रदान की जाना न्यायहित में होगा। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में होने से काउण्टर प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। इकरारनामा जब तक भूमिधारी (तहसीलदार) द्वारा प्रमाणित नही होता तो वह अमान्य होकर रेकर्ड पर नही आ सकता है जो इकरारनामा रेकर्ड पर नही आता है तथा उसके स्थान पर उक्त निर्णय तहसीलदार द्वारा किया जाता है तो इकरारनामाा शून्य व प्रभावहीन हो जाता है तथा बेरा पिपलिया के खसरा नम्बर 2910, 2918, 2915, 2925 व 2928 का बंटवाडा कीगण एवं अप्रार्थीगण ने मौके पर जाकर नाप करवाकर अपने-अपने हिस्से अनुसार बंट कर लिया गया। सभी पक्षकारान की उपस्थिति में तथा मौतबिरान की उपस्थिति में बंटवाडा कर कब्जा कर लिया गया है। लेकिन अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को खसरा संख्या 2006 में स्थित कुए से पानी नही लेने दे रहे है जबकि प्रार्थीगण भी उक्त कुए के सहखातेदार है जिन्हे पानी लेने से नही रोका जा सकता। इसलिए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया

जावे कि वो प्रार्थीगण को उक्त कुए से पानी लेने में किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वयं पैदा करे व न ही अपने परिवार, रिश्तेदार, एजेन्ट वगैरा से व्यवधान करावे।

अतः जवाब काउण्टर वाद पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण द्वारा पेश काउण्टर वाद को सव्यय हर्जा खर्चा के खारिज फरमाया जावे तथा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो खसरा संख्या 2006 में स्थित कुए से प्रार्थीगण को पानी लेने में किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वयं पैदा करे व न ही अपने परिवार, रिश्तेदार, एजेन्ट वगैरा से व्यवधान करावे।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए न्यायालय को विधि द्वारा स्थापित निम्न तीन बिन्दुओं को तय करना है :-

1. ***प्रथम दृष्ट्या मामला :-*** वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् वादपत्र प्रस्तुत कर हस्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी सं. 1 से 9 द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि पर बिना विधिवत बंटवाडा किये तथा बिना प्रार्थीगण की सहमति के वादग्रस्त कृषि भूमि को बैचान करने पर आमादा है खसरा सं. 2006 में स्थित गै.मु.बेरा में स्थित कुएं से सिंचाई करने से प्रार्थीगण को स्पष्ट मना कर दिया। प्रार्थीगण को स्पष्ट मना कर दिया कि आप कुए से आपकी फसल की सिचाई नहीं करोंगे। दिनांक 08.07.2025 को अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के बंट की भूमि में सिंचाई हेतु आने वाले पानी को बंद कर दिया तथा अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया तथा प्रार्थीगण को खसरा सं. 2006 में स्थित कुए से अपनी फसल सिंचाई हेतु पानी लेने से मना करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि में सिंचाई हेतु पानी में किसी प्रकार की दखल पैदा नहीं करे तथा प्रार्थीगण को सिंचाई करने की न्यायालय द्वारा अनुमति प्रदान करावें एवं कुएं से पशु एवं प्रार्थीगण के पीने के पानी को नहीं रोका जावे तथा अप्रार्थी सं. 10 को भी जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वो अप्रार्थी सं. 1 से 9 द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में हस्तान्तरण/अन्तरण संबंधी दस्तावेज का पंजीयन नहीं करें। अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा जवाब व काउण्टर जवाब पेश कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी बिलाडा चक 4 में आई हुई है। उपरोक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 से 9 के पूर्व पुरूष करनाराम पुत्र स्व. शिवदानराम ने अपने जीतेजी अपनी स्वयं की खातेदारी की पट्टासुद, कब्जासुद भूमि का पारिवारिक भौतिक रूप से बंटवाडा कर दिनांक 05.06.1992 को लिखित रूप देकर तहरीर व तकमील किया। काउण्टर वाद के साथ संलग्न नजरी नक्शें के अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण निवास कर रहे है। इसलिए

बंटवाडा विलेख फैमिली सेटलमेंन्ट दिनांक 05.06.1992 व शर्तो की पालना के इकरारनामें अनुसार नजरी नक्शें में वर्णित अनुसार मौके पर भौतिक कब्जे अनुसार अपनी खातेदारी में दर्ज कराने के लिए यह घोषणा एवं बंटवाडा का काउण्टर वाद करना पडा। अप्रार्थीगण द्वारा काउण्टर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण की बंटसुदा, कब्जासुद भूमि में काउण्टर प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 2 ख, में वर्णित वादग्रस्त भूमि में दौराने वाद प्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रार्थीगण न तो स्वयं दखलअन्दाजी करे एवं न ही अपने हाली एजेण्ट नौकर चाकर प्रतिनिधि से दखलअंदाजी कराने की चेष्टा करावे।

प्रार्थी के प्रार्थनापत्र में अंकित कथनों एवं वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी अविभाजित सहखातेदारी भूमि है, जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण बतौर रेकर्डेड खातेदार है। अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा बंटवाडा विलेख फैमिली सेटलमेन्ट दिनांक 05.06.1992 के अनुसार अस्थाई निषेधाज्ञा चाहते है किन्तु प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा काउण्टर का जवाब पेश कर बताया कि इकरारनामा दिनांक 05.06.1992 के पेज सं. 3 पर लाईन सं. 7 में स्पष्ट शर्त रखी गयी कि पिता करनाराम के स्वर्गवास के बाद आप चारों भाई उपरोक्त वर्णित बंटवाडे माफिक सरकार में अपना म्यूटेशन करवाकर बिगोडी भरते रहेंगे। उक्त इकरारनामा की पालना नहीं होने से प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा उक्त इकरारनामा शून्य होना बताया। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध मूल वादपत्र के मुख्य अनुतोष पर गुणावगुण के आधार पर कोई टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि सहखातेदारी भूमि के सम्बन्ध में यह मान्य सिद्धांत है कि ऐसी भूमि के प्रत्येक भाग प्रत्येक सहखातेदार का अपने हक हिस्से तक अधिकार एवं कब्जा निहित होना माना जाता है। अतः प्रार्थीगण का यह कथन कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में केवल उसी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला निहित है, स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 2 में वादग्रस्त आराजी को प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारीसुदा, संयुक्त कब्जा काश्तसुदा भूमि है। खसरा नंबर 2006 रकबा 0.0647 हैक्टयर किस्म गै.मु.बेरा है। गैर मुमकिन बेरा की भूमि पर स्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अतः यह बिन्दु प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण दोनों के पक्ष में भलीभांति साबित होता है।

<u>(02) सुविधा का संतुलन :-</u> प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित हो चुका है तथा प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई विश्वसनीय तथ्य एवं दस्तावेजात् प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह साबित हो की वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में सुविधा का सतुंलन केवल प्रार्थी के पक्ष में ही निहित है। क्योंकि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में संयुक्त रूप से काबिज व काश्त करना बताया है। अतः यह बिन्दू प्रार्थी के प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

*(03) अपूर्णनीय क्षति :-* प्रथम दृष्ट्या मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुए है, साथ ही प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह साबित हो कि प्रार्थीगण के पक्ष में यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की गई तो उसे किस प्रकार से अपूर्णनीय क्षति होनें की पूर्ण आशंका है। क्योंकि दोनों रेकर्डेड खातेदार है। दोंनों का बराबर हिस्सा राजस्व जमाबंदी में इन्द्राज है। अतः यह बिंदू भी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण प्रार्थना-पत्र व अप्रार्थीगण काउण्टर प्रार्थना पत्र साबित करनें में पूर्णतया सफल रहे हैं, अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र व अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत काउण्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना पूर्णतया विधि सम्मत् एवं उचित रहेगा।

## -: आदेश :-

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र व अप्रार्थीगण का काउण्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 9 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो ग्राम बिलाड़ा चक 4 की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा सं. 2006 रकबा 0.0047 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बेरा को छोडकर शेष खसरा सं 2005 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, खसरा सं. 2007 रकबा 1.8283 हैक्टेयर, खसरा सं. 2910 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, खसरा सं. 2915 रकबा 0.2265 हैक्टेयर, खसरा सं. 2918 रकबा 0.0728 हैक्टेयर, खसरा सं. 2925 रकबा 0.3883 हैक्टेयर, खसरा सं. 2928 रकबा 0.0647 हैक्टेयर का मूल वाद के निस्तारण तक अन्य किसी को बैचान या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण नही करे तथा विवादित भूमि के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपरोक्त पत्रावली मूलवाद के साथ नथी हो।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आदेश आज दिनांक 08/09/15 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा